पारित करने के पश्चात जन सूचना अधिकारी से स्पष्टीकरण लेना और स्पष्टीकरण लेने के बाद दण्डादेश वापस लेना विधिसम्मत नहीं है।

उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दण्डादेश पारित करने के बाद स्पष्टीकरण लेना और स्पष्टीकरण के आधार पर दण्डादेश वापस लेना उपर्युक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था और प्रतिपादित सिद्धान्त की अवहेलना होगी और तद्नुसार यह मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी। उक्त परिपत्र में यह भी कहा गया है कि आयोग द्वारा पारित शास्ति आदेश स्वतः वसूली योग्य है। अतः शास्ति आदेश पारित करने पर उसे वसूली हेतु तुरन्त रजिस्ट्रार को प्रेषित करना चाहिए। शास्ति आदेश पारित करने के पश्चात पृथक से वसूली आदेश निर्गत करना न अपेक्षित है, न औचित्यपूर्ण है और न ही विधिसंगत है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित है कि अधिनियम, नियमावली तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपर्युक्त परिपत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के तहत जारी किया गया है।

अतः मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 के उक्त परिपत्र दिनांक 10–06–2022, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–20 एवं उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना सर्वथा उचित है।

रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग को निर्देशित किया जाता है कि **जन सूचना अधिकारी/कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–रायबरेली** के विरूद्ध दिनांक 08.07.2021 को अधिरोपित अर्थदण्ड रू0 25,000/– की वसूली उनके वेतन से दो समान किश्तों में कराया जाना सुनिश्चित करें। इसी आदेश के साथ प्रकरण **निस्तारित किया** जाता है।

उक्त प्रकरण में वसूल की जाने वाली धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करायी जाए तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जाए।

उक्त आदेश की एक प्रति **रजिस्ट्रार,** उ0प्र0 सूचना आयोग को **प्रेषित की जाए**। रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा आदेश की प्रति **प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ** को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए। पत्रावली नियमानुसार संरक्षित रखी जाए।

04–01–2023

रामानुज सिंह